

15/06/22

पञ्जावली पेश हुई। वकील याची उप. वकील
 याची ने मूलवाद मे Not Press किया है। ले
 अब इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य
 नहीं है। अतः इस आवेदन की कार्यवाही इसी
 स्तर पर समाप्त की जाती है। पूर्व में इस न्यायालय
 के द्वारा जारी किया गया स्वयंसेवक आदेश दिनांक
 07/04/17 को निरस्त किया जाता है। पञ्जावली फ़ैसल
 सुमार होकर दारिद्वल दफ्तर हो। मूलवाद को
 खेलाग्न हो।

